

राजस्थान-सरकार
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-प4(223)निपेवि/स्था./आरटीआई/2005/पार्ट5/22-23/

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) में लोक प्राधिकरण द्वारा उसकी प्रशासनिक ईकाइयों / कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की अपेक्षा की गई है एवम् सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(2) के अन्तर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान है ।

अतः सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) एवं 5(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार विभाग में पदस्थापित निम्नांकित अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है :-

क्र.सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	अतिरिक्त प्रभार
1	श्रीमती जिज्ञासा गौड़	अतिरिक्त निदेशक	लोक सूचना अधिकारी
2	श्री लालचन्द	उप निदेशक	सहायक लोक सूचना अधिकारी

६०

क्रमांक:-प4(223)निपेवि/स्था./आरटीआई/2005/पार्ट5/22-23/ 4587-4605-R


निदेशक,

दिनांक:-

14-11-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमती जिज्ञासा गौड़, अतिरिक्त निदेशक
2. श्री विश्वजीत सिंह पुरावत, अतिरिक्त निदेशक, कार्यालय हाजा
3. उप विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
4. विशेषाधिकारी, पेंशन पालना एवं शिकायत प्रकोष्ठ,
5. श्री लाल चन्द, उप निदेशक पी.आर. 1,4
6. उप निदेशक/सहायक निदेशक पीआर- /नियम/अंशदान अनुभाग,
7. निजी सचिव, निदेशक
8. संस्थापन अधिकारी, कार्यालय हाजा
9. समस्त सहायक लेखाधिकारी, पी.आर- कार्यालय हाजा ।
10. नियुक्त निदेशक कम्प्यूटर अनुभाग को भेजकर लेख है कि विभाग की वेबसाईट पर उक्त आदेश के अनुरूप आवश्यक संशोधन (अपडेशन) करावें ।
11. स्टोर कीपर को सूचना पट्ट में आवश्यक संशोधन कराने एवं तदनुसार लोक सूचना अधिकारी की सीलें (मोहर) तैयार कर सभी अनुभागों को उपजब्ध कराने बाबत ।


अतिरिक्त निदेशक
(मुख्यालय)